<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, अम्बेडकर नगर।</u>

सी.एन.आन नम्बर–यूपीएएन0100077772019
सिविल अपील संख्या–16/2019
सी0नं0–16/2019
गिरीश विश्वकर्मा बनाम पार्वती देवी आदि

<u>प्रार्थना पत्र 23क1 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा0दी0का निस्तारण 25.10.2021–</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थनापत्र 23क1 पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र 23क1 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलार्थी नम्बर–2 की मृत्यु हो गयी है जिनकी कायम मुकामी प्रार्थनापत्र दिया गया लेकिन टाइप की गलती से प्रार्थनापत्र की धारा–2 में उनके वारिसानों के नाम के पहले 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6 दर्ज हो गया है जिसे कलमजद करके 2/1, 2/2,2/3,2/4,2/5,2/6 लिखने की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत है। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

अपीलार्थी द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी संख्या–2 की मृत्यु हो गयी है जिसके कायम मुकामी प्रार्थनापत्र में वारिसानों के नाम के पहले 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6 दर्ज हो गया है जिसे कलमजद करके 2/1, 2/2,2/3,2/4,2/5,2/6 लिखने हेतु संशोधन की आवश्यकता है। संशोधन किये जाने की अनुमति दी जाए।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वांछित संशोधन से अपील के प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वाद के संचालन हेतु उक्त संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र संशोधन स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार प्रार्थनापत्र कागज सं0–23क1 स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी संशोधन अंदर 7 दिन में करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र 21क1 व 19ग2 सुनवाई दिनांक 08.11.2021 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–1
अम्बेडकरनगर

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, अम्बेडकर नगर।

सिविल अपील संख्या–79 / 2018
सी0नं0–90 / 2018
बहाउ बनाम राजकरन

प्रार्थना पत्र 31क1 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 व आपत्ति 33ग2 का निस्तारण
दिनांक 04.10.2021–

पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र 31क1 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 प्रस्तुत कर कथन किया है कि दिनांक 10.10.19 को बहस तैयार करते समय यह ज्ञात हुआ कि गलती से अपील मेमो की प्रार्थना अपूर्ण है जिसे जरिये संशोधन विधितः निस्तारण हेतु दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना की है कि अपील मेमो के प्रार्थना पत्र के अन्त में ''और दावा डिक्री किया जावे तथा प्रतिवादी को रोक दिया जावे कि वह विवादित सरिया पर वादी के कब्जा व दखल में बाधा न डाले'' लिखने की अनुमति दी जाये। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

प्रतिउत्तरदाता राजकरन द्वारा आपत्ति 33ग2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा दिया गया संशोधन प्रार्थना पत्र अस्पष्ट एवं भ्रामक है दरख्वास्त तरमीम अपीलार्थी कानूनन त्रुटिपूर्ण हैं और दरख्वास्त तरमीम अपीलार्थी विधि सम्मत नही है। दरख्वास्त तरमीम अपीलार्थी आफटर थॉट है। अतः दरख्वास्त तरमीम अपीलार्थी खारिज करने की याचना की गयी है।

अपीलार्थी द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि अपील मेमो में कुछ संशोधन की आवश्यकता है संशोधन किये जाने की अनुमति दी जाए आर यह भी कहा गया है कि अपील तैयार करते समय उसे पता चला कि अपील मेमो की प्रार्थना अपूर्ण है जिसको जरिये संशोधन पूर्ण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जबकि विपक्षी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर यह कहा गया है कि संशोधन प्रार्थना पत्र अस्पष्ट एवं भ्रामक है, कानूनन त्रुटिपूर्ण हैं, आफटर थॉट है। निरस्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.2018 को दावा वादी निरस्त किये जाने और उसी आदेश से छुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है और अपील में यह अनुतोष चाहा गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय दिनांकित 27.07.2018 निरस्त किया जाए और अब संशोधन के माध्यम से वह यह चाह रहा है कि अनुतोष के कॉलम में कुछ संशोधन किया जाए जबकि अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी। यदि अपील स्वीकार होती है तो दावा वादी स्वतः डिक्री हो जायेगा और वादी/अपीलार्थी द्वारा जो अनुतोष मूल दावे में चाहा गया था, वह स्वतः डिक्री हो जायेगा और यदि अपील पर्याप्त कारण न होने पर निरस्त की जाती है तो उसे इस संशोधन से कोई प्रभाव नही पड़ेगा। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है अनावश्यक रूप से प्रस्तुत किया गया है। संशोधन किया जाना औचित्यहीन प्रतीत होने पर प्रार्थना पत्र संशोधन निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र कागज सं0–31ग2 आधार पर्याप्त न होने के कारण निरस्त किया जाता है। तद्नुसार आपत्ति 33ग2 निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते सुनवाई अपील हेतु दिनांक 26.10.2021 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–1
अम्बेडकरनगर